भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1819
(दिनांक 10.12.2025 को उत्तर के लिए)

आईगॉट मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म

1819. श्री मितेश पटेल बकाभाई :
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के एक करोड़ उपयोगकर्ताओं का लक्ष्य हासिल करने के बाद निर्धारित अगले प्रमुख लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्षमता निर्माण आयोग किस प्रकार यह सुनिश्चित कर रहा है कि आईगॉट पर उपलब्ध विषय-वस्तु क्षेत्रीय आवश्यकताओं और भाषाओं के अनुरूप है; और
(ग) क्या आईगॉट प्रशिक्षण के पूरे होने और सिविल सेवाओं में पदोन्नति को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम – मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत स्थापित आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, सरकारी कार्मिकों के डिजिटल शिक्षण और क्षमता निर्माण पर फोकस करता है। आईगॉट के पैमाने और पहुँच में तेजी से विस्तार जारी है और वर्तमान में, मंत्रालयों/विभागों के अतिरिक्त, अधिकांश राज्य तथा संघ शासित प्रदेश भी इस प्लेटफॉर्म पर शामिल किए गए हैं। एसपीवी कर्मयोगी भारत और क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) ने मिशन कर्मयोगी के व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए 27 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की तारीख के अनुसार, इसमें 1.41 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता शामिल हो चुके हैं, और यह प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों (डोमेन), कार्यात्मक और व्यावहारिक सक्षमताओं में 3700 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिनमें से 6 करोड़ से अधिक पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं। ये पाठ्यक्रम अंग्रेजी और हिन्दी भाषा सहित 23 भाषाओं में उपलब्ध हैं, जो व्यापक पहुँच प्रदान करते हैं और क्षेत्रीय एवं भाषाई आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। आईगॉट पर उपलब्ध 3700 पाठ्यक्रमों में से 735 पाठ्यक्रम हिन्दी में, जबकि 544 पाठ्यक्रम विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं।

इसके विस्तार के अगले चरण का उद्देश्य भूमिका-आधारित सक्षमता ढांचों का गहन एकीकरण, बहुभाषी विषय-वस्तु का विस्तार, और भूमिका विशिष्ट क्षमता-निर्माण योजनाओं का और संवर्धन करना है।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के व्यापक समावेशन, एक बहुभाषी पाठ्यक्रम प्रणाली, और केंद्र एवं राज्य-स्तरीय संस्थानों के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी पदानुक्रमों और भौगोलिक क्षेत्रों के लोक सेवकों को उच्च-गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण सुलभ हो सके।

*****